

अल्पकालीन निविदा

जनपद मे संचालित की जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, उ0प्र0 के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित स्टेशनरी की आपूर्ति हेतु विभागीय निविदा फार्म पर सीलबन्द निविदाएं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 31-12-2007 को अपराह्न 1-00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन अपराह्न 2-00 बजे गठित कमेटी द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। सामग्रियों का विवरण निम्नवत है।

क.सं.	सामग्री का नाम	विशिष्टियां	मात्रा
1	2	3	4
1.	ईजीएस के अन्तर्गत पंजीकरण आवेदन का प्रारूप	कवर सहित 100 पन्ने की पुस्तिका (एफ.एस. साइज 57 जी.एस.एम. ओरियन्ट पेपर)	3200 पुस्तिका
2.	जाब कार्ड	कवर सहित कुल 24 पृष्ठों की पुस्तिका (कवर लेमिनेटेड कार्ड सीट पर) साइज 23X14 सेमी. (लेजर 70 जीएसएम)	2,50,000 पुस्तिका
3.	मस्टर रोल	30X40 सेमी (ओरियन्ट 57 जीएसएम)	2000 पुस्तिका प्रति पुस्तिका 100 फार्म, सीरियल नं0 सहित
4.	ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के पास रहने वाला मस्टर रोल निर्गम रजिस्टर	33X21 सेमी 100 पन्ने (लेजर 70 जी. एस.एम. पेपर)	1500 रजिस्टर
5.	ग्राम पंचायत के स्तर पर रहने वाले मस्टर रोल प्राप्ति रजिस्टर	33X21 सेमी 100 पन्ने (लेजर 70 जी. एस.एम. पेपर)	1500 रजिस्टर
6.	ग्राम पंचायत के अलावा अन्य क्रियान्वयन निकायों के पास रहने वाले मस्टर रोल प्राप्ति रजिस्टर	33X21 सेमी 100 पन्ने (लेजर 70 जी. एस.एम. पेपर)	100 रजिस्टर
7.	पंजीकरण आवेदन रजिस्टर	33X21 सेमी 100 पन्ने (लेजर 70 जी. एस.एम. पेपर)	1500 रजिस्टर
8.	रोजगार कार्ड रजिस्टर	33X21 सेमी 100 पन्ने (लेजर 70 जी. एस.एम. पेपर)	1500 रजिस्टर
9.	रोजगार कार्ड रजिस्टर	33X21 सेमी 100 पन्ने (लेजर 70 जी. एस.एम. पेपर)	1500 रजिस्टर
10.	ग्राम पंचायत के स्तर पर रोजगार रजिस्टर	33X21 सेमी 100 पन्ने (लेजर 70 जी. एस.एम. पेपर)	1500 रजिस्टर
11.	परिसम्पत्ति / सम्पदा रजिस्टर	50 पन्ने का 33X21 सेमी (लेजर पेपर 86 जीएसएम)	1500 रजिस्टर
12.	ब्लाक और जिला स्तर पर रखा जाने वाला शिकायत रजिस्टर	50 पन्ने का 33X21 सेमी (लेजर पेपर 86 जीएसएम)	1500 रजिस्टर
13.	मस्टर रोल निर्गम रजिस्टर	100 पन्ने का 33X21 सेमी (लेजर पेपर 86 जीएसएम)	1500 रजिस्टर
14.	मस्टर रोल रजिस्टर	100 पन्ने का 33X21 सेमी (लेजर पेपर 86 जीएसएम)	1500 रजिस्टर
15.	रोजगार प्रार्थना पत्र की पत्र पावती	ए-4 साइज (100 पन्नों की एक पुस्तिका डबल पेज में कर्मांक सहित)	1500 पैड
16.	रोजगार आवंटन की सूचना पुस्तिका	ए-4 साइज ओरियन्ट (100 पन्नों की एक पुस्तिका डबल पेज में कर्मांक सहित)	2500 पुस्तिका

निविदा की शर्तें

1. निविदा फार्म/नियम व शर्तें दिनांक 19-12-2007 से किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे के मध्य रू0 200=00 नगद देकर दिनांक 30-12-2007 तक प्राप्त की जा सकती है जो दिनांक 31-12-2007 को अपरान्ह 1.00 बजे तक जिला विकास कार्यालय, गाजीपुर में जमा की जायेगी और उसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे निविदादाताओं तथा कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।
2. आपूर्ति आदेश प्राप्ति की एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में वांछित स्टेशनरी की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता फर्म का व्यापार कर एवं आयकर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
4. सशर्त/अपूर्ण निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
5. विभागीय निविदा प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. निविदादाता को रू0 20,000=00 (बीस हजार मात्र) की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो मुख्य विकास अधिकारी के पक्ष में देय होगा, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा स्वीकार होने पर निविदा मूल्य की 05 प्रतिशत राशि तत्काल जमा
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समिति के अध्यक्ष को होगा। निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो दरें निविदा में अंकित करेंगे वह दरें दिनांक 31-03-2009 तक के लिए मान्य होगी।
9. निविदा प्रपत्रों के साथ नमूना जमा करना अनिवार्य होगा।
10. उपरोक्त सामग्री अनुमानित है जिसकी मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
11. निविदा की सामान्य शर्तें गाजीपुर के वेबसाइट <http://ghazipur.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

31/12/11-07
मुख्य विकास अधिकारी,
गाजीपुर।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांक : 3257/आ.लि.-2/नरेगा/विज्ञप्ति/2007-08

दिनांक : 19 दिसम्बर, 2007

प्रतिलिपि

1. सम्पादक-दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान गाजीपुर तथा अमृत प्रभात इलाहाबाद को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना अपने समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान पर न्यूनतम दरों पर शीघ्र प्रकाशित करने के पश्चात बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में सहायक सूचना निदेशक, गाजीपुर से सत्यापन के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. नाजिर, सदर कलेक्टेट, जिला पंचायत, जिला विकास अधिकारी, नगरपालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग/आर.ई.एस./जल निगम/बाढ़ खण्ड/तहसील सदर/विद्युत विभाग को इस आशय से कि उक्त निविदा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा करायें।

मुख्य विकास अधिकारी,
गाजीपुर।